रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06082026-275254
CG-DL-E-06082026-275254

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4179] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 6, 2026/श्रावण 15, 1948
No. 4179] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 6, 2026/SHRAVAN 15, 1948

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2026

**का.आ. 4355(अ).—** केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में, गुजरात सरकार के परामर्श से, गुजरात के लिए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त समिति कहा गया है), का चार वर्ष की अवधि के लिए गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

| क्र.सं. | अभिहित सदस्य | पदनाम |
|---|---|---|
| (1) | श्री देवांग महिपतलाल ठाकर,<br>एच/3, सुगम अपार्टमेंट, वासना बस स्टॉप के पास, वासना, अहमदाबाद -380007, गुजरात। | अध्यक्ष; |
| (2) | श्री हितेन्द्र विट्ठलदास मोजिदरा<br>ए-603, अदिति एम्पेरिया, विश्वकर्मा मंदिर के पास, न्यू एस.जी. रोड (वन्देमातरम रोड) चांदलोडिया, अहमदाबाद - 382481, गुजरात | सदस्य; |

| | | |
|---|---|---|
| (3) | डॉ. जयेश रुपारेलिया<br>प्रोफसर और पूर्व विभागाध्यक्ष, रसायन अभियांत्रिकी विभाग, निरमा विश्वविद्यालय,<br>एसजी हाईवे, गोटा, अहमदाबाद - 382481, गुजरात। | सदस्य; |
| (4) | डॉ. ख्याति के. मोदी<br>आस्था बंगला, आर.एम. सिटी, प्लॉट नंबर 04, कल्पवंत रेस्तरां और एस्सार पेट्रोल पंप के<br>पीछे, NH-48, अतुल, पारनेरा, वलसाड - 396020, गुजरात | सदस्य; |
| (5) | प्रो. (डॉ.) नयन के. जैन<br>पूर्व वरिष्ठ प्रोफेसर<br>402, आगम रेजीडेंसी, सदम सोसाइटी के पास, एच.एल. कॉलेज के पीछे, लीलावती गर्ल्स<br>हॉस्टल लेन के सामने, नवरंगपुरा, अहमदाबाद 380009, गुजरात। | सदस्य; और |
| (6) | वरिष्ठ पर्यावरण इंजीनियर /पर्यावरण इंजीनियर (श्रेणी-1), गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,<br>"पर्यावरण भवन" सेक्टर-10-ए, गांधीनगर, गुजरात। | सदस्य<br>सचिव। |

2. उक्त समिति की सिफारिशें, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा अपने विनिश्चय के लिए विचार मे ली जाएगी।

3. गुजरात की उक्त समिति के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

4. हितों के किसी विवाद से बचने के लिए,

(1)उक्त समिति के अध्यक्ष और सदस्य,-

(क) यह घोषित करेंगे कि वे किस परामर्शी संगठन से और साथ ही किस परियोजना प्रस्तावक के साथ जुड़े हुए हैं,

(ख) परियोजना के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन और पर्यावरण प्रबंधन योजना की तैयारी के संबंध में कोई परामर्श या सहयोग नहीं करेंगे, जिसे प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित किया जाना है, या जिस पर उनके कार्यकाल के दौरान समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाना है; और

(2) यदि पूर्ववर्ती पांच वर्षों में, उक्त समिति के अध्यक्ष या किसी सदस्य ने परामर्शी सेवाएं प्रदान की हैं या किसी परियोजना प्रस्तावक के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन अध्ययन आयोजित किया है, तो उस स्थिति में वे ऐसे प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित किसी भी परियोजना के मूल्यांकन की प्रक्रिया में उक्त समिति की बैठकों से स्वयं को अलग कर लेंगे।

5. उक्त समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं।

6. उक्त समिति खनन के सिवाय अन्य सभी परियोजनाओं का मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन करेगी।

7. उक्त समिति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति स्थापित का प्रयास करेंगे और यदि वे सर्वसम्मति स्थापित करने में असफल रहते हैं तो बहुसंख्यक मत अभिमावी होगा।

8. गुजरात सरकार, उक्त समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए एक अभिकरण को विनिर्दिष्ट करेंगी और सचिवालय जिसके अंतर्गत आवास, परिवहन और उनके कानूनी कार्यों के सम्बन्ध में अन्य सुविधाएं भी हैं, वित्तीय और संभार तंत्र सहायता प्रदान करेगी।

9. उक्त समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता गुजरात सरकार के सुसंगत नियमों के उपबंधों के अनुसार संदत्त होगा।

[फा. सं. आईए3-13/4/2023-आईए.III]

रजत अग्रवाल, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th August, 2026

**S.O. 4355(E).—** In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India of the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government, in consultation with the Government of Gujarat, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee(SEAC) for Gujarat (hereinafter referred to as the said Committee), for a period of four years comprising of the following persons, namely:-

| Sl. No. | Nominated Members | Designation |
|---|---|---|
| (1) | Shri Devang Mahipatlal Thaker,<br>H/3, Sugam Apartment, Nr. Vasna Bus Stop, Vasna, Ahmedabad – 380007,<br>Gujarat. | Chairman; |
| (2) | Shri Hitendra Vitthaldas Mojidra,<br>A-603, Aditi Emperia, Near Vishwakarma Temple,New S.G. Road (Vandematram Road), Chandlodiya, Ahmedabad – 382481, Gujarat | Member; |
| (3) | Dr. Jayesh Ruparelia,<br>Professor and former HoD, Department of Chemical Engineering,Nirma University, SG Highway, Gota, Ahmedabad – 382481, Gujarat. | Member; |
| (4) | Dr. Khyati K. Modi,<br>Aastha Bungalow, R.M. City, Plot No. 04, Behind Kalpvant Restaurant and Essar Petrol Pump, NH-48, Atul, Parnera, Valsad – 396020, Gujarat | Member; |
| (5) | Prof (Dr.) Nayan K. Jain<br>Former Senior Professor<br>402, Aagam Residency, Near Sadam Society, Behind H.L. College Opposite Lilavati Girls' Hostel Lane, Navrangpura, Ahmedabad – 380009, Gujarat. | Member;and |
| (6) | Senior Environmental Engineer / Environmental Engineer (Class-1), Gujarat Pollution Control Board, "Paryavaran Bhavan" Sector-10-A, Gandhinagar, Gujarat. | Member Secretary. |

2. The recommendations of the said committee shall be taken into consideration by the State Level Environment Impact Assessment Authority for its decision.

3. The Chairman and Members of the said Committee, Gujarat shall hold office for a term of four years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

4. In order to avoid any conflict of interest–

(1) The Chairman and Members of the said Committee shall–

(a) declare to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents;

(b) not undertake any consultation or association with regard to preparation of Environment Impact Assessment and Environment Management Plan for project, which is to be decided by the Authority, or to be appraised by the Committee during their tenure; and

(2) If in the preceding five years, the Chairman or any member of the said Committee has provided consultancy services or conducted Environment Impact Assessment studies for any project proponent, in that situation they shall recuse themselves from the meetings of the said Committee from the process of appraisal of any project proposed by such proponents.

5. The said Committee shall exercise the powers and follow the procedures specified in the said notification.

6. The said Committee shall appraise or reappraise all other projects except mining.

7. The said Committee shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavour to reach consensus in each case, and if they fail to reach consensus the view of the majority shall prevail.

8. The Government of Gujarat shall specify an agency to act as Secretariat of the said Committee and the Secretariat shall provide financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of its statutory functions.

9. The sitting fees, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and members of the said Committee, shall be paid in accordance with the provisions of relevant rules of the Government of Gujarat.

[F. No. IA3-13/4/2023-IA.III]

RAJAT AGARWAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.08.06 22:56:22 +05'30'